

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना तारीख

सं० 133 परगना अक्सपुर थाना बाबू के जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाबू से बखियापुर गई नई रेल लाईन निर्माण के लिए सरकार द्वारा जमीन खी लगी अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संशुद्ध प्रयोजनार्थ खी लगी जमीन परगना अक्सपुर थाना सं० 133 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मन्सूर गांव से कम गेज 0.3675 एकड़ के बराबर होगा है और जिसका सर्वे खेरसा संख्या - 48, 50, 51, 52, 125 एवं 131 रानी अंश भाग

जिसकी चौकड़ी निम्न प्रकार है

उत्तर - खेरसा सं० 48, 50, 51, 125 एवं 131 रानी अंश भाग

पूर्व - मौजा - मोहम्मदपुर थाना सं० 135 के मौजा - सनीशार थाना सं० 136 का सीमाका

दक्षिण - खेरसा सं० 48, 50, 51, 52, 125 एवं 131 रानी अंश भाग

दरिया - मौजा - मुहम्मदपुर थाना सं० 137 का सीमाका

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 31 सन 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है

भूमि का मन्सूर भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देना या उपोपार्जित बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पटना और उनका कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध प्राप्त अधिकारियों में तत्समक होने उप मुख्य अभियन्ता(निर्माण) गृह नध्य रेलवे, दानापुर, पटना के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित या विभिन्न उक्त कार्य के सम्पुर्ण निष्पादन के लिए अपेक्षित कार्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।




बिहार राज्यपाल के आदेश से
३९८
सरकार के ३९८ अतिरिक्त

- 1716/र०

ज्ञापक संख्या-15/डी0 एल0 ए0 पटना (रिल)- 18/13 दिनांक- 02-07-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक रामवार पत्रों, जिरामे एक रघुनीय माप में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला मू. अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी तप समाहर्ता, जिला गजट, रामाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला मू.-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला मू.-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, सञ्चन एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।